

भारत सरकार,
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय
एम.एस.एम.ई.-टेस्टिंग स्टेशन,
४७-ई, औद्योगिक क्षेत्र, गोविन्दपुरा,
भोपाल - ४६२०२३ (म. प्र.)
फोन/फैक्स: (०७५५) २५८६०७५



Government of India,
Ministry of MSME
MSME-TESTING STATION
Shed no. 47- E, Industrial Area
Govindpura, BHOPAL - 462023 (M. P.)
Phone/ FAX: (0755) 2586075
E-mail: dcts-bhopal@dcmsme.gov.in

संख्या : ए-12034/प्रशा./ केज्युल /2017-18/

दिनांक : 02.06.17

टेन्डर नोटिस

विषय : कार्यालय में वर्ष 2017-18 के लिए आउटसोर्सिंग की प्रक्रिया के तहत कान्ट्रैक्ट आधार पर दो सुरक्षा गार्ड एवं एक सफाई कर्मचारी (चार घंटे) की सेवाएँ प्रदान करने हेतु कोटेशन उपलब्ध कराने बाबत ।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि इस कार्यालय को वर्ष 2017-18 में कार्यालय की सुरक्षा व्यवस्था हेतु आउटसोर्सिंग की प्रक्रिया के तहत कान्ट्रैक्ट आधार पर दो सुरक्षा गार्ड एवं एक सफाई कर्मचारी (चार घंटे) रखने की आवश्यकता है । अतः आपसे अनुरोध है कि निम्नलिखित विवरण अनुसार अपने कोटेशन सीलबन्द लिफाफे में इस कार्यालय को भेजने का कष्ट करें :

1. लिफाफे पर "आउटसोर्सिंग की प्रक्रिया के तहत कान्ट्रैक्ट आधार पर दो सुरक्षा गार्ड एवं एक सफाई कर्मचारी (चार घंटे) की सेवाएँ प्रदान करने हेतु कोटेशन" स्वच्छ अक्षरों में अंकित होना चाहिये ।
2. आपके कोटेशन एम.एस.एम.ई.-टेस्टिंग स्टेशन, शेड नं. 47, सेक्टर - ई, औद्योगिक क्षेत्र, गोविन्दपुरा, भोपाल (म.प्र.) में दिनांक 22.06.17 को शाम 3.00 बजे तक अनिवार्य रूप से प्राप्त हो जाने चाहिए ।
3. उक्त कान्ट्रैक्ट वर्ष 2017-18 के लिए दिनांक : 01/08/2017 से 31/03/18 तक के लिए वैध रहेगा , जो कि कम या ज्यादा आवश्यकतानुसार किया जा सकता है ।
4. अनुबंध अवधि में एजेंसी द्वारा कार्यालय की सुरक्षा व्यवस्था हेतु 02 सिक्यूरिटी गार्ड तैनात किए जाएंगे । जो कि कार्यालय में शाम 06.00 बजे से प्रातः 10.00 बजे तक 8 + 8 घंटे की ड्यूटी के हिसाब से पूरे माह तैनात रहेंगे । सफाई कर्मचारी की सेवाएँ प्रतिदिन चार घंटे समय प्रातः 9.00 बजे से अपराह्न 1.00 बजे तक रहेगी ।
5. एजेंसी द्वारा तैनात किये गये सुरक्षा गार्डों को शारीरिक रूप से सक्षम एवं स्वस्थ तथा प्रशिक्षित होना चाहिए । उन्हें ड्यूटी के समय पूर्णतः वर्दी में उपस्थित रहना होगा । उनके पास सुरक्षा से संबंधित सामान जैसे कि डण्डा, बीसिल, टार्च इत्यादि अनिवार्य रूप से होना चाहिए । साथ ही आपातकालीन परिस्थितियों में सूचना देने हेतु मोबाईल फोन की व्यवस्था भी होना चाहिए । उक्त सामानों की व्यवस्था सुरक्षा एजेंसी को ही करना होगी । कार्यालय द्वारा इसके लिए किसी भी तरह का अलग से कोई भुगतान नहीं किया जायेगा ।
6. सुरक्षा गार्डों की ड्यूटी के समय कार्यालय की सुरक्षा व्यवस्था की पूरी जिम्मेदारी एजेंसी के सिक्यूरिटी गार्डों एवं सिक्यूरिटी एजेंसी की रहेगी ।
7. एजेंसी के गार्डों एवं एक सफाई कर्मचारी (चार घंटे) को कार्यालय में प्रतिदिन उपरोक्तानुसार निर्धारित समय पर नियमित रूप से समय के पाबंद होकर सेवाएँ देनी होंगी । आपके सुरक्षा गार्डों एवं एक सफाई कर्मचारी (चार घंटे) द्वारा कार्यालय में कार्य पर आने एवं जाने एवं कार्य करने की प्रविष्टि एक रजिस्टर पर करनी होगी जो कि इस कार्यालय में ही रखा जायेगा एवं जिसे सहायक निदेशक प्रभारी द्वारा प्रतिदिन चेक किया जायेगा ।
8. सुरक्षा एजेंसी का पूर्व में विभिन्न शासकीय/अर्धशासकीय निकायों/प्रतिष्ठित निजी संस्थानों, कार्यालयों, उपक्रमों, फैक्टोरियों इत्यादि में सुरक्षा संबंधी कार्य करने का अनुभव होना आवश्यक है ।
9. सुरक्षा एजेंसी को वार्षिक भुगतान किये जाने वाली राशि का 10 प्रतिशत की एफ.डी. बनवाकर कार्यालय में बतौर सुरक्षा निधि के रूप में रखनी होगी जो कि एजेंसी के कार्य की अवधि समाप्त होने अथवा एजेंसी की सेवाएँ समाप्त करने पर (जो भी लागू हो) सुरक्षा एजेंसी को लौटा दी जायेगी । उक्त सुरक्षा निधि की राशि को सुरक्षा एजेंसी के द्वारा सहायक निदेशक प्रभारी, एम.एस.एम.ई. - टेस्टिंग स्टेशन, भोपाल के नाम से भोपाल में स्थित किसी भी बैंक में फिक्सड डिपॉजिट के रूप में जमा कर एफ.डी. की मूल प्रति इस कार्यालय में जमा करना होगा ।
10. सुरक्षा एजेंसी को उपरोक्त सेवाओं के लिए स्वयं के व्यय पर इस पत्र में दी गई शर्तों का एक अनुबंध पत्र तैयार कराया जायेगा जो कि नोटरी द्वारा पंजीकृत होगा एवं जिसकी मूल प्रति कार्यालय में जमा कराई जायेगी ।
11. आपकी सेवाएँ संतोषजनक न पाए जाने की स्थिति में कार्यालय द्वारा किसी भी समय 15 दिनों के नोटिस पर आपकी सेवाएँ समाप्त की जा सकेंगी ।
12. एजेंसियों पंजीकृत होनी चाहिए ।
13. कोटेशन प्रतिदिन की दर से तीस कार्य दिवस के हिसाब से होनी चाहिए ।
14. सिक्योरिटी एवं सफाई कर्मचारी के लिए ईएसआई, एवं ईपीएफ कार्यालय में पंजीकरण होना आवश्यक होगा ।
15. ईएसआई, ईपीएफ, सरकारी टेक्स एवं सर्विस चार्ज की दर अलग से दिखाना अनिवार्य है। प्रत्येक राशी रुपये में दर्शानी होगी । निल राशी/शून्य राशी दिए जाने पर संविदा अयोग्य मानी जावेगी ।
16. सिक्योरिटी एवं सफाई कर्मचारी के लिए बायोमेट्रिक उपस्थिती लगाने का प्रावधान रहेगा इस हेतु लगने वाले कागजात कार्यालय में जमा कराना अनिवार्य होगा ।
17. सहायक निदेशक प्रभारी, एम.एस.एम.ई. - टेस्टिंग स्टेशन, भोपाल को किसी भी कोटेशन को स्वीकृत या अस्वीकृत करने का अधिकार है ।

१८. कोटेशन दिनांक 22.06.17 को शाम 5.00 बजे खोले जायेंगे ।

भवदीय

(रसायन प्रसाद)
सहायक निदेशक (रसायन)
कृते सहायक निदेशक प्रभारी